

## द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2021-22 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
458	आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली का कार्यालय	4000000
573	उच्च न्यायालय (भारत)	8014022
1430	जन्म मृत्यु संबंधी आकड़ों का संकलन	100 *
1472	जिला खर्च	100 *
1473	जिला चिकित्सालय	100 *
1502	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये	140000000
1510	जिला स्थापना	200 *
2456	न्यायिकेतर स्टाम्प की लागत	45000000
3283	मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल पर व्यय	20000000
3287	मछुआ सहकारिता एवं मत्स्य विक्रय	4674000
3598	मोटर गैरेज	6000000
3686	राज्य योजना आयोग	100 *
4043	विमानन संचालनालय	60000000
4327	सचिवालय	35000000
4485	सामान्य प्रशासन विभाग - भवन	26700000
4612	स्टाम्पों की लागत	30000000
4793	जल मौसम विज्ञान नेट वर्क तथा संचालनालय स्थापना	1000000
4843	अधो संरचना विकास निगम	31123000

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 1

## द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2021-22 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
5169	विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	363699000
5338	राज्य वित्त आयोग	3000000
5354	एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)	60422000
5616	गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी का समन्वित विकास	100 *
5805	मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों पर धर्मशालाओं आदि का निर्माण	7442000
6358	अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण	13654000
6383	जल जीवन मिशन योजना	1000000000
6386	चिकित्सा, दंत, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय	200 *
6429	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	750000000
6441	कोविड-19 के संक्रमण का रोकथाम एवं उपचार	158086000
6596	सीजी.आर.आई.डी.सी.एल. निर्माण कार्य हेतु सहायता	200 *
6598	7.08 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2029	354000000
6599	7.06 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2029	353000000
6600	6.94 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2029	347000000
6604	छत्तीसगढ़ शाकम्भरी बोर्ड	100 *
6605	भू-संपदा अपील अधिकरण , रायपुर	10000000
6606	भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति	1200 *
6607	6.82 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2028	341000000

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 2

## द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2021-22 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
6608	6.53 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2028	326500000
6611	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन	750000000
6612	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	10000000
6613	15 वें वित्त आयोग अंतर्गत अनुदान	2240000000
6615	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण	129000
6884	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	2990000000
6892	ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना	100 *
6933	पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	313701000
7256	न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण	71050767
7363	युवा कैरियर निर्माण योजना	30000000
7438	स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन	100 *
7490	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	1521986500
7498	पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण / उत्पादन / वितरण कम्पनी	300 *
7626	विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएँ से स्थानीय विकास कार्यक्रम	40000000
7628	अनुसूचित जाति का संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास	50000000
7699	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	885000000
7709	सबके लिये आवास योजना	3042200000
7811	डॉयल 100/112	10000000

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 3

## द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2021-22 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
7845	नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजना	1500000000
7929	फिल्म विकास निगम	10000100
7988	उद्यानिकी विश्वविद्यालय	100 *
7993	छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से व्यय	2000000000
8545	नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	50000000
8562	कोंडागाँव मे शिल्प सिटी की स्थापना	5000000
8674	राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्य उपार्जन में हुये व्ययो की प्रतिपूर्ति	830000000
9059	घरेलु कर्मचारी (भारित)	1000000
9064	मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान	200000000
9261	अन्य व्यय	36900000

**योग**

**21086284389**